



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

ADR सेंटर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)

(Phone-07453-294186 Chairman/Secretary)

क्रमांक : 2415

दिनांक : 02/07/2026

--: विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ 7(29)/रालसा-संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन/2026/453 दिनांक 24.06.2026 के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.8(1)विधि-2/विरसं(194)/2026-68576 दिनांक 19.06.2026 के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां कार्यालय में उपलब्ध राजकीय वाहन (Maruti Suzuki XL6/Urbania) के संचालन हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के दिशा-निर्देशों की पालना में संविदा पर 01 वाहन चालक की सेवाये दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक लिये जाने हेतु राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत्त कार्मिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क.स.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां	वाहन चालक (संविदा पद)	01

शर्तें:-

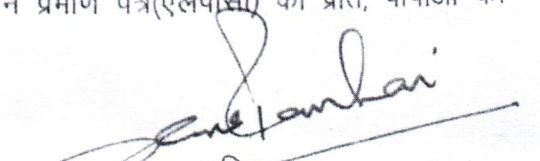
- उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा:- उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी।
- ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त वाहन चालक की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अधधीन प्रभावी।
- ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अधधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएँ देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक दिनांक 09.07.2026 को कार्यालय समय तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 09.07.2026 को कार्यालय समय सायं 5:00 बजे तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति, अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र(एलपीसी) की प्रति, पीपीओ की प्रति, विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र(प्रारूप संलग्न है)

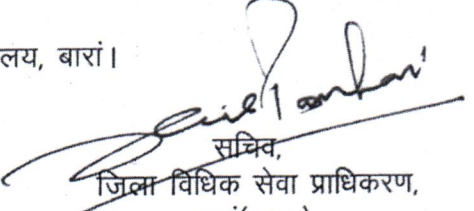

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

कमांक : 2729

दिनांक : 02/07/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
3. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त राजस्थान।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बारां को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत।
5. श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा/छीपाबड़ोद/शाहबाद/मांगरोल/अटरू/अन्ता/किशनगंज।
6. जिला नियोजन अधिकारी, बारां
- ✓ 7. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां को जिला न्यायालय, बारां की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां।


सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु :- वर्ष माह दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
11. मूल पेंशन राशि
(पी.पी.ओ. की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्त सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक:-

स्थान:-

(हस्ताक्षर)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की अवधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएँ जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील